([illegible]
राजस्व वाद संख्या 131/2020)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 131/2020

1. भूप राम } पिसरान श्री साहबराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील
2. रमेश कुमार } सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

..... वादीगण

बनाम

1. साहब राम पुत्र श्री बीरबल राम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. सन्तोष देवी पुत्री साहबरा पत्नि श्री सुशील कुमार झोरड़ जाति जाट निवासी ख्योवालीढाब तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री काशीराम रणवा अधिवक्ता	वादीगण
2.	श्री महेन्द्र सिंह कम्बोज	प्रतिवादी – 1 व 2
3.	पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर	प्रतिवादी–3
4.	पैरोकार राज तहसीलदार सादुलशहर	प्रतिवादी –4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.04.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 तीनो सग्गे भाई–बहिन है व प्रतिवादी संख्या 1वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का पिता है,। वादीगण के दादा श्री बीरबल राम वल्द डुंगरराम के नाम से तहसील श्रीगंगानगर के चक 20 एल एन पी के जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 के खाता संख्या 36/36 के मुरब्बा नं. 64 के किला नं. 1 ता 25 व मुरब्बा नं. 65 के किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19 ता 23 प्रत्येक सालम कुल 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि व तहसील सादुलशहर के चक 15 एल एल जी जमाबन्दी सम्वत् 2029 2038 के खाता संख्या 20, पत्थर नं. 4/128 मुरब्बा नं. 7 किला नं. 11, 18 ता 23, पत्थर नं. 5/178 मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 10 ता 25, पत्थर नं. 7/179 के मुरब्बा नं. 10 के किला नं. 1 ता 15, पत्थर नं. 7/183 मुरब्बा नं. 31 किला नं. 6, 7, 11 ता 19, 23 ता 25, पत्थर नं. 7/183 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 3 ता 7, 15, 16 कुल तादादी 49 बीघा दर्ज कागजात माल थी, तहसील सादुलशहर मे ही वादीगण के दादा बीरबल राम के नाम वाके चक 16 एल एल जी जगन्दी सम्वत् 2042 खाता संख्या 22/23 पत्थर नं. 6/184 मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 1 ता 25, पत्थर नं. 6/185 मुरब्बा नं. 23 किला नं. 1 ता 9, 12 ता 17 व 25, पत्थर नं. 5/185 मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 1 ता 25, पत्थर नं. 4/185 मुरब्बा नं. 25 किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24, पत्थर नं. 4/189 मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 15 ता 19, 22 ता 25, पत्थर नं. 3/189 मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 11, 12, 13, 20, 21 कुल तादादी

[signature]
अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

99 बीघा दर्ज कागजात माल थी। वादीगण के दादा बीरंगल राग वल्द डुंगर राम के नाम से
वाके चक 20 एल एन पी व 15 एल एल जी व 16 एल एल जी की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र
है। वादीगण के दादा बीरबल का दिनांक 15-01-1984 को देहान्त होने पर बीरबल राम की
वादग्रस्त भूमि बीरबल राम के पुत्र प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के भाई अनन्तराम वगैरा
को प्राप्त हुई थी। अनन्त राम ने वाके चक 20 एल एन पी व चक 15 व 16 एल एल जी की
बीरबल राम के नाम की भूमि का बंटवारे का वाद संख्या 14/85 अनवानी अनन्तराम बनाम
गनीराम वगैरा माननीय न्यायालय मे दायर किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक
30–10–1985 को स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 1 को वाके चक 15 एल एल जी के पत्थर नं.
4/178 मुरब्बा नं. 7 किला नं. 11, 18 ता 23 की 7 बीघा, पथर नं. 7/199 मुरब्बा नं. 10
किला नं. 1 ता 15 की 15 बीघा व पत्थर नं. 5/178 मुखनं. 8 किला नं. 10 ता 25 की 16
बीघा व चक 20 एल एन पी मुरब्बा नं. 65 केला नं. 2, 9, 12, 19, 22, 23 की 6 बीघा वं चक
16 एल एल जी के पत्थर नं. 5/135 मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 2, 3, 4 की 3 बीघा कुल 47
बीघा भूमि का उदार घोषित कर दिया व बीरबल राम की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य
भाईयों को बंटवारे मे दे दी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–10–1985 की
प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–10–1985
से प्रतिवादी संख्या 1 को वाके चक 20 एस एन पी के मुरब्बा नं. 65 की 6 बीघा व चक 15
एल एल जी के मुरब्बा नं. 7 मे 7 बीघा, मुरब्बा नं. 10 मे 15 बीघा, मुरब्बा नं. 8 मे 16 बीघा
कुल 38 बीघा व चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 24 की 3 बीघा कुल 47 बीघा भूमि का
खातेदार घोषित किया गया है। उक्त 47 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता बीरबल
राम से प्राप्त हुई है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पैतृक सम्पति के रूप मे दर्ज है। माननीय
न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–10–1985 की पालना मे वाके चक 15 व 16 एल एल जी की
भूमि का किलावाईज इंतकाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया, परन्तु
चक 20 एल एन पी की भूमि का किलावाईज इंतकाल नहीं हुआ और चक 20 एल एन पी के
मुरब्बा नं. 64 व 65 की भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त ही दर्ज चली आ रही है लेकिन प्रतिवादी
संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के भाई माननीय न्यायालय द्वारा बंटवारा मे मिली भूमि पर अलग
अलग काबिज होकर भूमि काश्त करते आ रहे है। तीनों चको की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम
की वर्तमान जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण व प्रतिवादी या 1 संयुक्त हिन्दू परिवार
कायम करते है । वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त कुल भूमि संयुक्त काश्तकार संयुक्त
आमदन करते है और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त परिवार ने संयुक्त आय से वाके
चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 54 का किला नं. 22 व मुरब्बा नं. 59 के किला नं. 1 ता 3,
8 ता 10 व किला नं. 13 प्रत्येक सालम कुल 8 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से क्रय
की है। इसमे मुरब्बा नं. 59 की भूमि का इंतकाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो चुका है।
मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 22 का अमल दरामद होना शेष है परन्तु किला नं. 22 वादीगण के
परिवार के कब्जा मे है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार के पास कुल 55
बीघा कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। मुरब्बा नं. 54 व 59 की जनाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।
वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है
प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज पैतृक सम्पति में वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा है, और
वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर के हकदार है। प्रतिवादी संख्या 2,
प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है और अपने ससुराल मे आबाद है और प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी
संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि मे कोई हक व हिस्सा क्लेम नहीं करती है और कुल भूमि वादीगण
व प्रतिवादी संख्या 1 ही काश्त करते है और तीनो ही हिस्सेदार है। वादीगण व प्रतिवादी
संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का आपस मे घरेलू विभाजन कर रखा है और
वादग्रस्त भूमि निम्न प्रकार से काश्त की सहुलियत की लिहाज से व भूमि की कीमत अच्छी
माड़ी के लिहाज से निम्न प्रकार से बांट रखी है :–

वादी संख्या 1 भूपराम के हिस्सा व कब्जा मे आयी भूमि :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 59 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 व 13, मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 22 कुल 8 बीघा, चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नं. 65 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 व 23 की 6 बीघा कुल 14 बीघा।

वादी संख्या 2 रमेश कुमार के हिस्सा व कब्जा मे आयी भूमि :–

चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 11, 18 ता 23 की 7 बीघा मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 10 ता 25 की 16 बीघा

प्रतिवादी संख्या 1 साहब राम के हिस्सा व कब्जा मे आयी भूमि : –

चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 2, 3, 4 की 3 बीघा व चक 15 एल एल जी के मुरब्बा नं. 10 के किला नं. 1 ता 15 की 15 बीघा।

वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि अपने पिता बीरबल से विरासतन प्राप्त हुई है व मुरब्बा नं. 54 व 39 की 8 बीघा भूमि पैतृक सम्पति की व संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गई सम्पति है, और कुल सम्पति पैतृक सम्पति है, और प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज सम्पति मे वादीगण हकदार व दावेदार है और माननीय न्यायालय से ऐसी घोषणा करवाने के अधिकारी है व वाद घोषणा भूमि विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि मे अपने हक व हिस्सा की भूमि जो घरू बंटवारा मे वादीगण को प्राप्त हुई है वह वादीगण के नाम दर्ज करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी सं. 1 आजकल–आजकल करता रहा फिर दिनांक 23–10–2020 को ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया है यही वाद कारण है। वाद वादी कृषि भूमि मे अधिकारो की घोषणा व भूमि विभाजन हेतू है, कृषि भूमि वाके चक 20 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर मे व चक 15 व 16 एल एल जी की कृषि भूमि तहसील सादुलशहर मे स्थित है। इस कारण दोनो तहसीलदार को वाद मे पक्षकार बनाया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि मे कोई हक व हिस्सा नहीं चाहती है फिर भी प्रतिवादी संख्या 2 को औपचारिक रूप से वाद मे पक्षकार बनाया जा रहा है। चक 20 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर की भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है। जो अन्दर अवधि 2/–रूपये की न्यायशुल्क पर पेश है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 20 एल एन पी व 15 एल एल जी व 16 एल एल जी मे दर्ज भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है।

(ख) वादी संख्या 1 भूपराम को वाके चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 59 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 व 13, मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 22 की 8 बीघा व चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नं. 65 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22, 23 की 6 बीघा का खातेदार घोषित किया जावे।

(ग)– वादी संख्या 2 रमेश कुमार को चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 59 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 व 13, मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 22 कुल 8 बीघा, चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नं. 65 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 व 23 की 6 बीघा कुल 14 बीघा का खातेदार घोषित किया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ङ) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित मे हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकारा सन्तोष देवी सगे भाई–बहिन है और द्वितीय पक्षकार साहबराम के पुत्रगण/पुत्रीयां है। साहबराम को अपने पिता श्री बीरबल राम से वाके चक 15 एल एल जी के पत्थर नं. 4/178 मुरब्बा नं. 7 किला नं. 11, 18 ता 23 की 7 बीघा, पत्थर नं. 7/199 मुरब्बा नं. 10 किला नं. 1 ता

Scanned with CamScanner

16 की 15 बीघा व मुरब्बा नं. 5/178 मुरब्बा नं. 8 किला नं. 10 ता 25 की 16 बीघा व चक 20 एल एन पी मुरब्बा नं. 65 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22, 23 की 6 बीघा व चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 5/186 मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 2, 3, 4 की 3 बीघा कुल 47 बीघा भूमि पैतृक सम्पत्ति के विभाजन में न्यायालय की डिक्री से प्राप्त हुई थी। जो द्वितीय पक्षकार साहबराम के नाम पैतृक सम्पत्ति के रूप में दर्ज है। न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-1995 की पालना में वाके चक 15 व 16 एल एल जी की भूमि का किलावाईज इंतकाल द्वितीय पक्षकार साहबराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, परन्तु चक 20 एल एन पी की भूमि का किलावाईज इंतकाल नहीं हुआ और चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नं. 64 व 65 की भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त ही दर्ज चली आ रही है लेकिन द्वितीय पक्षकार साहबराम व द्वितीय पक्षकार साहबराम के भाई माननीय न्यायालय द्वारा बंटवारा में मिली भूमि पर अलग अलग काबिज होकर भूमि काश्त करते आ रहे हैं। पक्षकारान का संयुक्त हिन्दू परिवार है। पक्षकारान ने बादस्तूर कुल भूमि संयुक्त रूप से काश्तकार संयुक्त आमदन से वाके चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 54 का किला नं. 22 व मुरब्बा नं. 59 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 व किला नं. 13 प्रत्येक साबत कुल 8 बीघा भूमि द्वितीय पक्षकार साहबराम के नाम से क्रय की है। इसमें मुरब्बा नं. 59 की भूमि का इंतकाल द्वितीय पक्षकार साहबराम के नाम हो चुका है। मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 22 का अमल दरामद होना शेष है परन्तु किला नं. 22 प्रथम पक्षकारान के परिवार के कब्जे में है। इस प्रकार पक्षकारान के परिवार के पास कुल 55 बीघा कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार साहबराम के पुत्र है और द्वितीय पक्षकार साहबराम के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से प्रथम पक्षकारान व द्वितीय पक्षकारान ने आपस में मौखिक भूमि विभाजन कर लिया है और इस भूमि विभाजन में द्वितीय पक्षकार सरोज देवी भूमि में कोई हक व हिस्सा कलेम नहीं करती है और भूमि विभाजन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रथम पक्षकार भूपराम को भूमि विभाजन में चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 59 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 व 13, मुरब्बा नं. 54 के किला नं. 22 कुल 8 बीघा, चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नं. 65 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 व 23 की 6 बीघा कुल 14 बीघा व प्रथम पक्षकार रमेश कुमार
को चक 15 एल एल जी के मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 11, 18 ता 23 की 7
बीघा मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 10 ता 25 की 16 बीघा एवं द्वितीय पक्षकार साहब राम को चक 16 एल एल जी के मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 2, 3, 4 की 3 बीघा व चक 15 एल एल जी के मुरब्बा नं. 10 के किला नं. 1 ता 15 की 15 बीघा । भूपराम को पंजाब की भूमि पूर्व बंटवारे में दी हुई है इस कारण इस बंटवारा में भूपराम को कम भूमि दी जा रही है। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तमाम पक्षकारान ने पढ़कर सुन व समझकर व सही मानकर निष्पादित किया है और राजीनामा के प्रत्येक पृष्ठ पर तमाम पक्षकारान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये है ताकि राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है एवं तहसीलदार सादुलशहर एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2074-2077 चक 16 एलएलजी, पटवार हल्का रोटावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. चौ. चेतराम वाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 69/64, जमाबंदी सम्वत 2074-2077 चक 16 एलएलजी, पटवार हल्का रोटावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. चौ. चेतराम वाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 20/20, जमाबंदी सम्वत 2074-2077 चक 16 एलएलजी, पटवार हल्का रोटावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. चौ. चेतराम वाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 101/1, जमाबंदी सम्वत 2073-2076 चक 15 एलएलजी, पटवार हल्का रोटावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. चौ. चेतराम वाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 147/1, जमाबंदी सम्वत 2073-2076 चक 15 एलएलजी, पटवार हल्का रोटावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र. चौ. चेतराम वाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 88/88, जमाबंदी

[illegible] (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(भगवाना भूपराम बनाम साहबराम
राजस्व वाद संख्या :- 131/2020)

सम्वत् 2070-2073 चक 20 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, मु.अ.क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 49/63, का अवलोकन किया गया। विरासत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2029-2038 चक 16 एलएलजी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20, नामान्तकरण जमाबंदी चक 15 एलएलजी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/19, जमाबंदी चक 20 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 35/34, मुताबिक जमाबंदी वादग्रस्त आराजी विरासत भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुताबिक राजीनामा अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुताबिक राजीनामा प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 211 दिनांक 14.01.2026 एवं तहसीलदार सादुलशहर द्वारा जरिए क्रमांक 06 दिनांक 08.01.2026 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रेषित विभाजन अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। अतः वादी वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वादी वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

1. तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	भूपराम पुत्र साहब राम जाति जाट हिस्सा 1/6 (शेष खाता बदस्तूर जमाबंदी)	चक 20 एलएनपी के खाता संख्या 49/63 मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 1 ता 10, 11/2, 12 ता 25(6.199 हैक्टर), मुरबा नम्बर 65 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22(2.783 हैक्टर) कुल रकबा 8.982 हैक्टर नहरी

2. तहसीलदार(राजस्व) सादुलशहर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	भूपराम पुत्र साहब राम जाति जाट साकिन जोगीवाला (वादी संख्या 1)	चक 16 एल एल एस के पत्थर नम्बर 3/189 मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 22 (0.253 हैक्टर), पत्थर यनम्बर 3/190 मुरबा नम्बर 59 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 10, 13 रकबा 1.771 हैक्टर नहरी कुल रकबा 2.024 हैक्टर नहरी
2	रमेश कुमार पुत्र साहब राम जाति जाट निवासी जोगीवाला (वादी संख्या 2)	चक 15 एल एल एस के पत्थर नम्बर 4/178 मुरबा नम्बर 7 किला नम्बर 11, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 5/178 मुरबा नम्बर 8 किला नम्बर 10 ता 25 कुल रकबा 5.819 हैक्टर नहरी मय खाला
3	साहब राम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी	चक 15 एल एल एस के पत्थर नम्बर 7/179 मुरबा नम्बर 10 किला नम्बर 1 ता 15 रकबा 3.795 हैक्टर

	जोगीवाला(प्रतिवादी संख्या 1)	नहरी, चक 16 एल एल एस के मुरब्बा नम्बर 5/165 मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 2 सा 4 रकबा 0.759 हैक्टर नहरी मय रास्ता कुल रकबा 4.554 हैक्टर नहरी मय रास्ता

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.04.2026 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner